24/11/22	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर बार-बार आवाज लगाने के बावजूद प्रार्थी एवं प्रार्थी के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। प्रार्थी एवं अधिवक्ता अपने द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र को आगे चलाने के प्रति गंभीर नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 24/11/22 को खुले न्यायालय में सुनाया ~~जाकर~~ गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद मियाद भण्डार हो। उप [illegible] नक्टर लवाण

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.04.05 15:57:54 IST
Reason: SelfAttested